ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 140-143**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

उदारवादी नारीवाद

डॉ0 कंचन कुमारी
शिक्षिका, समाजशास्त्र, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिरौरा, नौबतपुर, पटना (बिहार) भारत

Received-28.10.2024, Revised-06.11.2024, Accepted-11.11.2024 **E-mail : akbar786ali888@gmail.com**

सारांशः ***परंपरागत सिद्धांतों में यहां तक कि राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों में जेंडरीकृत यथार्थ के बारे में व्याप्त चुप्पियों को संबोधित करने और उन पर प्रश्न उठाने का काम नारीवादी सिद्धांतों द्वारा किया गया है। समाज में पुरुष और महिलाओं की सापेक्ष स्थिति और 'परिवार', 'कानून' और जेंडर के संबंध में अन्य संस्थाओं की कथित तटस्थता के बारे में व्याप्त चुप्पी पर नारीवादी चिंतन के द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं। यह चिंतन, जेंडर परिप्रेक्ष्य से सत्ता और अधिकार, प्रभुत्व और अधीनता तथा दमन से उठने वाले मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। सत्ताहीनता के अनुभवों से भरे महिलाओं के वास्तविक जीवन के बरअक्स सभी मनुष्यों के समान मूल्य, आजादी और समानता के बारे में व्याप्त आम धारणाओं ने नारीवादी सिद्धांत को प्रेरित किया है कि वह महिलाओं के जीवन में सत्ता संचालन की प्रवृत्ति को समझे तथा गहराई में जाकर उसकी पड़ताल करे। इस संदर्भ में देखने पर नारीवादी सैद्धांतिकी महिलाओं के चिंतन विशिष्ट अनुभवों मसलन उनका दोयम दर्जा, उनकी नामालूम सी लगने वाली उपस्थिति (Low visibility), उनके साथ होने वाला भेदभाव तथा हिंसा को समाहित करने के लिए विभिन्न शाखाओं के संकल्पनात्मक फ्रेमवर्क (Conceptual framework) की नए सिरे से पड़ताल और भाषा है।***

कुंजीभूत शब्द– उदारवादी नारीवाद, जेंडरीकृत, कानून, जेंडर, सत्ता, अधिकार, प्रभुत्व, अधीनता, सत्ताहीनता, मूल्य, समानता

नारीवादी सिद्धांत प्रवृत्ति अंतर्वस्तु और प्रभावों के बारे में भिन्नता रखते हैं। विभिन्न सैद्धांतिक और दार्शनिक परिप्रेक्ष्यों में अवस्थित नारीवादी सिद्धांतों में तमाम भिन्नताओं के बावजूद कुछ साझे सरोकारों को चिन्हित किया जा सकता है। उनके अंदर निहित तमाम मतभेदों के बावजूद एक बात स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति और उनकी जेंडर पहचान की संरचना सभी नारीवादी सिद्धांतों का केंद्रीय पहलु है। सामाजिक और संस्थागत संबंधों की जेंडरगत प्रकृति को समझने के प्रयास में सभी साझा सरोकार रखते हैं। इसके मुताबिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अन्य विषमताओं और वंचनाओं की जड़ में जेंडर संबंध होते हैं। परिवार, शिक्षा, काम, राजनीति, संस्कृति और फुरसत का समय, सभी जेंडर, सत्ता, वर्ग, नस्ल और लैंगिकता के संबंधों के जरिए सामाजिक संरचनाबद्ध होते हैं। जेंडर संबंधों को ऐतिहासिक तथा सामाजिक तौर पर निर्मित, न कि स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय समझा जाता है। साफ है कि उनका पुनर्गठन संभव है। स्थूल रूप में कहा जाए तो मानवीय अस्तित्व विशेषकर जेंडर के संदर्भ में अर्थात पुरुषोचित और स्त्रियोचित अर्थों में या तो सामाजिक ऐतिहासिक रूप से अनुकूलित या जीववैज्ञानिक तरीकों से तय माना जाता है। बेंडर पहचान, लैंगिकता की चेतना और महिला उत्पीड़न के प्राथमिक क्षेत्र (Primary Site) की तलाश सभी नारीवादी सिद्धांतों का केंद्रीय सरोकार समझा जाता है। उनके मुताबिक तमाम सामाजिक संबंध और प्रतिक्रियाएं किसी के जन्म की जीववैज्ञानिक संयोग की उपज होते हैं। जेंडरगत पहचान, संसाधनों तक पहुंच, सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने की संभावनाएं, अपनी जीवनशैली तय करने की आजादी सभी क्षेत्रों में गंभीर असमनाताएं उत्पन्न करते हैं। जहां तक पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक निर्मितियों/संरचनाओं को जेंडर परिप्रेक्ष्य से चुनौती देने का सवाल है सभी नारीवादी सिद्धांत सामाजिक बदलाव के सिद्धांत हैं। हालांकि वे मुख्यतः जेंडर अधीनता के यथार्थ को समझने और उसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा वे सामाजिक बहिष्कार के अन्य रूपों जैसे नस्लवाद, जातिवाद तक भी विस्तारित होते हैं। समकालीन नारीवाद राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, नैतिक और नस्लीय आयामों को अपने अंदर समाहित करने की ओर बढ़ा है। आज के समय में नारीवादी सिद्धांत में उदारवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद, समाजवादी नारीवाद से लेकर नस्लविरोधी, मनोविश्लेषक और उत्तरआधुनिक नारीवाद शामिल हैं भले ही उनमें स्पष्ट सीमा रेखाएं न उजागर हों।

एक शब्द के तौर पर 'नारीवादी' (फेमिनिस्ट) शब्द का प्रयोग 1890 के बाद आम हो चला, जबकि उसका इस्तेमाल उन लोगों को चिन्हित करने के लिए किया जाने लगा जो न केवल महिलाओं के लिए ज्यादा सार्वजनिक भूमिका के पक्षधर थे, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर महिलाओं के हक में खड़े थे। लेकिन 1890 के पहले भी नारीवादी चिंतन की बुनियाद को शुरुआती उदारवादी नारीवादियों की रचनाओं तथा समय–समय पर उनके द्वारा ली गई, पोजिशनों में ज्यादा सुस्पष्ट रूप में पहचाना जा सकता है।

अठारहवीं सदी की प्रारंभिक उदारवादी नारीवादियों ने, मानवीय गरिमा और समानता की उदारवादी धारणाओं और महिलाओं के जीवन की वास्तविक हकीकत के बीच व्याप्त अंतर्विरोधों को प्रखरता के साथ सामने रखा था। उदारवादी नारीवादी परिप्रेक्ष्य ने आजादी और समानता के जनतांत्रिक मूल्य और औरत की अधीनता के बीच के अंतर्विरोध को रेखांकित किया। जेंडर पर आधारित विभेद और परिवार तथा समाज में महिलाओं की दोयम स्थिति को तर्कसंगत ठहराने वाली आम धारणाओं को सामाजिक अनुकूलन और जड़ीभूतः सांस्कृतिक मूल्यों की उपज के तौर पर समझने की भी उसने कोशिश की। समानता और न्याय की धारणाओं के संदर्भ में उसने विवाह नामक संस्था के मूल्यांकन का प्रयास किया। ये सभी विचार महिलाओं की समानता, कानूनी सुधारों की मांग, समान अवसरों तक पहुंच, सार्वजनिक दायरों में शामिल होने के प्रति महिलाओं के अधिकार तथा मानव के तौर पर अपने अंदर निहित संभावनाओं को पूरा करने का अवसर आदि विभिन्न मसलों पर आधारित अभियानों का आधार बने।

उदारवादी नारीवाद उदारवाद की दार्शनिक परंपराओं का अनुगमन करता है, जो 17वीं सदी के परवर्ती काल से 18वीं सदी के परवर्ती काल तक पश्चिमी जगत में संपन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों की उपज थीं विज्ञान में प्रगति और जीव

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

विज्ञान, भूगोल तथा भौतिकी में सामने आई नई खोजें और वैज्ञानिक नियमों के संदर्भ में प्रगति आदि के चलते परंपरा की तुलना में तर्कविधान को अधिक महत्व दिया। रूपांतरण के इस दौर को विवेक का युग या प्रबोधन का युग कहते हैं। इस काल में सामाजिक–आर्थिक बदलावों ने सामाजिक विस्थापन को जन्म दिया जिसकी परिणति चर्च की पारंपारिक अधिसत्ता, कुलीनवर्ग और धनी तबकों को चुनौती दे सकने वाले सिद्धांतों के उदय में हुई। पहले से चले आ रहे सामंती विश्वासों को नागरिकों के अधिकार, व्यक्तियों की तार्किकता और समान अवसरों के विचारों ने चुनौती दी। अमरीकी और फ्रांसीसी क्रांति द्वारा संपन्न बदलावों, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण आदि के कारण नई वर्ग संरचनाओं विशेषकर नए मध्यमवर्ग का उदय हुआ जिसने राजाओं तथा कुलीनवर्ग के दैवी अधिकारों, चर्च के प्राधिकार आदि पर प्रश्न उठाए और संपत्तिहीन वर्गों और आम आदमी की राजनीतिक सहभागिता पर जोर दिया। सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, वोट डालने और शासकीय पद हासिल करने और संपत्ति रखने आदि के प्रति आम आदमी की क्षमता और अधिकारों को व्यक्ति के अंतर्निहित प्राकृतिक अधिकारों मसलन जीवन, आजादी तथा सरकारी दखलंदाजी के बिना सुख पाने की कोशिश के अधिकारों के आधार पर अधिकाधिक महत्व दिया जाने लगा। समग्रता में देखें तो यह परंपरा के ऊपर विवेक विधान और अधिनायकवादी के बजाय मानवतावादी पहुंच का बढ़ता प्रभुत्व था। यह उदारवाद का दर्शन था जो व्यक्तिगत आजादी के सिद्धांत पर आधारित था जिसका मतलब था चयन की स्वतंत्रता, समान अवसर और नागरिक अधिकार। यह तमाम विचार प्रबोधन और विवेक विधान के युग की विरासत थे। हालांकि हकीकत और व्यवहार में देखें तो आजादी, समानता और न्याय की धारणाएं महज पुरुषों पर लागू होती थीं। पुरुषों के अंदर भी देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार के तौर पर आजादी का विचार और उसमें से निकलने वाली प्राकृतिक अधिकारों की धारणा सिर्फ संपत्तिशाली अभिजातवर्गीय पुरुषों तक ही सीमित थीं। महिलाएं, निम्न वर्ग और गुलाम राष्ट्रों के नागरिक इस दायरे के बाहर थे ।

मानवीय समानता की धारणा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से प्राप्त की गई थी और उस पर अमरीकी स्वाधीनता की घोषणा, मनुष्य के अधिकारों के बारे में फ्रांसीसी घोषणा और उसके बाद समूची 19वीं सदी तथा बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में जोर दिया गया था। सत्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में लॉक जैसे विचारकों द्वारा व्यक्तिगत आजादी की धारणा को रेखांकित किया जाने लगा। इन्हीं से संस्थागत रक्षा कवचों और सरकारी सत्ता पर अंकुश जैसे विचारों की शुरुआत हुई। इनका मकसद था राजनीतिक अधिसत्ता के मनमाने अतिक्रमण से व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करना। मतदान का अधिकार और कानूनी समानता ऐसी राजनीतिक प्रणाली की औपचारिक पूर्व शर्त थी जिसे बाद में समूची वयस्क आबादी के लिए विस्तारित किया गया। सभी के लिए समग्र अधिकार और स्वतंत्रता मिलने के पहले पूर्ण नागरिकता प्राप्ति के संघर्ष चले। प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार के तौर पर आजादी तथा उससे अनुगमित प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का दायरा अपने शुरुआती समय में इसी के चलते सीमित था।

वे सभी समूह व तबके जिन्हें पूर्ण नागरिकता से वंचित किया गया था उनमें सबस सुस्पष्ट मामला औरतों का था जिनका अलगाव मताधिकार और कानूनी समानता से श्बहिष्कार की दार्शनिक दलीलों पर आधारित था। यह स्थिति उदारवाद के मूल प्रत्ययों का पाखंड उजागर कर देने वाली थी। वर्ना महिलाओं के साथ व्यवहार और महिलाओं की आजादी तथा उनके लिए समानता को अस्वीकार करने के मामले में विभिन्न दर्शन प्रणालियों में सहमति थी। उनका मानना यही था कि महिलाओं की जीववैज्ञानिक प्रकृति उनको राजनीतिक दर्जा न मिल पाने को न केवल तय करती है बल्कि न्यायसंगत ठहराती है। मान्यता यही थी कि महिलाओं का स्वभाव कोमल, दब्बू/आज्ञाकारी, भावुक और अतार्किक होता है जिसके चलते महिलाएं संभावित नागरिकों का पालन–पोषण कर सकती हैं लेकिन खुद नागरिक नहीं बन सकतीं। जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे– उपयोगितावादी इसका उल्लेखनीय अपवाद थे जिन्होंने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया और कहा कि 'मानवजाति का यह आधा हिस्सा' नैतिक तौर पर पुरुषों के समान है। मानवीय स्वभाव और इस तरह महिलाओं की प्रवृति के बारे में उनके बिलकुल भिन्न नजरिये (जो उनकी दार्शनिक रेडिकलिज्म में उजागर होना था) और समाज सुधार पर उनके जोर ने महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधार तैयार किया, मगर ये बातें बीसवीं सदी में ही साकार हो सकीं।

उदारवाद की बुनियाद बने आजादी, समानता और न्याय के विचार सत्ताहीनता और चारदिवारी में बंद महिलाओं के वास्तविक जीवन के अनुभवों से बिलकुल विपरीत थे। महिलाओं के बारे में व्याप्त ऐसी गलत धारणाओं को ठीक करने में शुरुआती उदारवादी नारीवादियों, विशेषकर मेरी वोल्स्टोन क्राफ्ट (1759–1797) ने जोरदार ढंग से हस्तक्षेप किया। 1792 में लंदन से पहली बार प्रकाशित अपने "Vindication of the Rights of Woman" (महिलाओं के अधिकारों का समर्थन) में उसने महिला अधिकारों की जोरदार ढंग से हिमायत की। लड़के और लड़कियों के लिए आदर्श शिक्षा के रूसो के विचारों का उसने प्रतिवाद किया जिसके मुताबिक लड़कों में विचारों का स्वातंत्र्य और निर्णय लेने की स्वायत्तता विकसित करना आवश्यक था, चूंकि वे नागरिकत्व के लिए आवश्यक थे। लेकिन जहां तक लड़कियों का सवाल था, उसने इसी बात की हिमायत की कि उन्हें अपने पतियों को खुश रखने की कला आनी चाहिए तथा उन्हें आज्ञाकारी, पतिव्रता और सदाचारी/सद्गुणी बनाना चाहिए। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का तर्क यही था कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का कोई तार्किक आधार नहीं है। अगर महज तार्किकता ही राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के मामले में व्यक्ति की क्षमता का पैमाना है तो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सहभागिता से वंचित करने का कोई आधार नहीं है। उसका सुझाव था कि महिलाओं की आभासी हीनता (apparent inferionity) सदियों से महिलाओं की क्षमता की उपेक्षा के चलते है। बाद के समय में हैरिएट टेलर मिल (1807–1858) ने जॉन स्टुअर्ट मिल (1806–1873) के साथ मिलकर महिलाओं की मुक्ति की हिमायत करते हुए निबंधों की शृंखला प्रकाशित की। 1851 में प्रचारित "The Subjection of Woman" (महिलाओं की अधीनता) में उन्होंने काम और परिवार की पारंपरिक प्रणालियों पर सवाल उठाया जो उनके मुताबिक महिलाओं को न केवल घर तक सीमित तथा प्रतिबंधित करती है

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

बल्कि चयन के अधिकार से भी वंचित करती है। वोल्स्टोनक्राफ्ट की तरह मिल और टेलर का भी मानना था कि कथित स्त्रियोचित गुण सामाजिक परिवेश में रच बसते हैं। वोल्स्टोनक्राफ्ट और मिल दोनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि महिलाएं मानवजाति का सदस्य होने के नाते तार्किक विचार में सक्षम होती हैं और पुरुषों की तरह समान प्राकृतिक अधिकारों की हकदार होती. हैं। स्त्रियों पर आरोपित प्रतिव्रता, मृदुता और आज्ञाकारिता के गुण सामाजिक अनुकूलन की उपज होते हैं जो महिलाओं की प्राकृतिक विशिष्टताएं होने के बजाय मुख्यतः यौन वस्तुओं के रूप में उन्हें गढ़े जाने का नतीजा होती हैं। उनकी कथित प्राकृतिक कमजोरियां, उनकी अतार्किकता और उनके स्वछंद मन, वास्तव में उनमें शिक्षा की कमी, चयन की आजादी का अभाव, पुरुषों पर उनकी निर्भरता तथा उनके दोषपूर्ण सामाजिकीकरण की उपज होती हैं। उन दोनों ने काफी उग्र लगने वाला प्रस्ताव रखा कि अपने पतियों के दुर्व्यवहार से बचने के लिए महिलाओं के पास सहारा होना चाहिए। हालांकि अधिक से अधिक पुरुष आबादी के लिए राजनीतिक अधिकारों के उपलब्ध होने की बात आसानी से स्वीकारी गई, लेकिन मेरी वोल्स्टोन क्राफ्ट की यह दलील आमतौर पर उपेक्षा का शिकार हुई कि सुख की प्राप्ति के लिए राजनीतिक समानता और आजादी का दार्शनिक औचित्य पुरुषों के साथ महिलाओं पर भी लागू होता है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में जब तक महिलाओं के लिए मताधिकार के आंदोलन में तेजी आई और वंचित समूह के गुलामों की मुक्ति की अमरीकी दासता विरोधियों की मांग आगे नहीं बढ़ी तथा मेहनतकश वर्ग को मतदान का अधिकार देने की मांग ने इंगलैंड में जोर नहीं पकड़ा तब तक किसी भी प्रमुख दार्शनिक ने आजादी और समानता की प्रचलित धारणाओं में महिलाओं को भी शामिल किए जाने के मसले को गंभीरता से नहीं लिया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही इन महिलाओं को लोकतंत्र में नागरिकता के न्यूनतम अधिकारों में शामिल किया जा सका। महिलाओं के लिए समानता और उन्हें मताधिकार प्रदान करने के जे.एस. मिल के विचारों का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध इतना ज्यादा था कि उसी के चलते उन्हें हासिल करने में इतना विलंब हुआ।

शुरुआती उदारवादी नारीवादियों के ये विचार और लक्ष्य हालांकि आने वाली तमाम नारीवादियों के विश्लेषण का आधार बने और वे अभी तक उदार नारीवादी एजेंडा के केंद्र में रहे हैं। व्यवहार के उनके लक्ष्य थे, पुरुषों पर महिलाओं की कानूनी, आर्थिक और सामाजिक निर्भरता को समाप्त करना, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आजादी और अवसर हासिल करना, ऐसे कानून और सार्वजनिक नीतियां बनाना जो महिलाओं के लिए चयन की समानता और अवसर की समानता सुनिश्चित कर सकें और जो महिलाओं की स्थिति में सुधार की अगुआई कर सकें। उदारवादी नारीवादियों का मानना था कि महिलाओं की असमानता, उन्हें समान अधिकारों से वंचित किए जाने तथा ऐसे अधिकारों से उनके अलगाव या उन पर अमल करने में उनके प्रतिरोध से पैदा होती है। दृष्टिकोणों और अपेक्षाओं और आचरण में जेंडर पर आधारित भिन्नताओं की निर्मिति में समाजीकरण और शिक्षा को प्रधान रूप में चिन्हित किया गया। निजी विश्वासों और मूल्यों की पुनर्रचना के जरिए संस्थागत और सामाजिक ढांचे में नए समाजीकरण को अंजाम दिए जाने की बात को रखा गया। सामाजिक चेतना की यह बदली हुई प्रक्रिया, एक ज्यादा मुक्त और समतावादी जेंडर संबंध को जन्म देगी पुरुषों के लिए हासिल अधिकार तथा विशेषाधिकारों के दायरे को महिलाओं तक विस्तारित करके पुरुषों के साथ महिला समानता हासिल की जा सकती है। इसलिए वे महिलाओं के लिए समान अवसरों के निर्माण, उन तक नागरिक अधिकारों का विस्तार और उन्हें शैक्षणिक अवसरों को उपलब्ध करने की नीतियों के जरिए सामाजिक और कानूनी सुधार की हिमायत करते हैं। आर्थिक अवसरों और नागरिक अधिकारों तक अपनी पहुंच सुगम बनाने के लिए सामाजिक नीति को एक महत्वपूर्ण ताकत के तौर पर समझा जाता है।

जिस युग में ये शुरुआती उदार नारीवादी विचार सामने आए उस युग के हिसाब से वे काफी रेडिकल थे। इसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां सामने आईं। इन विचारों की परिणति विशेष स्कूलों की स्थापना, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और मजदूरी, काम की स्थितियां, ट्रेड यूनियन और अन्य संगठनों को प्रेरित करते महिला मताधिकार संगठनों की स्थापना में हुई। सत्तर के दशक में उभरी नारीवाद की दूसरी धारा के दौरान भी उदारवादी नारीवाद की परंपरा जारी रही। तब तक शादीशुदा महिलाओं को उजरती मजदूरी सुनिश्चित करने, बच्चों की देखभाल में माता–पिता की सहभागिता, मातृत्व की रक्षा और खासकर उपेक्षित महिला समूहों के साथ विशेष वर्ताव आदि लक्ष्यों तक उसका विस्तार हुआ था। बाद में इसमें रोजगार की समानता का विचार जुड़ा और हाशिए पर डाल दिए गए समूह के नाते महिलाओं की विशेष सुरक्षा का तर्क (चसमं) इसमें शामिल किया गया। यह दलील मजबूत होती गई कि व्यवस्थागत विभेद को दूर करने के लिए महिलाओं पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कानूनी सुधार, शैक्षिक प्रगति और सार्वजनिक नीति समायोजन के जरिए हासिल करने की उम्मीद जताई गई।

परिवार और समाज में महिलाओं की दोयम स्थिति को बुद्धिसंगत ठहराने वाली आम धारणाओं को उदारवादी नास्वाद ने सफलतापूर्वक कटघरे में खड़ा किया। सार्वजनिक जीवन में शामिल होने के महिलाओं के अधिकार की उन्होंने हिमायत की और एक मानवीय हस्ती होने के नाते उनकी समग्र क्षमताओं को फलने–फूलने के लिए मौका प्रदान करने की मांग की। हालांकि उदारवादी नारीवाद ने महिलाओं की असमानता और अधीनता को रेखांकित किया, मगर जेंडर उत्पीड़न की जड़ों और संरचनाओं का पर्याप्त तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के व्यक्ति केंद्रित सिद्धांतों की उदारवादी दर्शन प्राणियों को अपने तर्कों का आधार बनाते हुए वह समाज में जेंडर उत्पीड़न की जड़ों को पर्याप्त ढंग से संबोधित नहीं कर सका। परिवार और उसमें महिलाओं के स्थान के सैद्धांतिकीकरण से महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न का विश्लेषण बाहर ही रखा गया। इसे कभी ढांचागत समस्या मानां ही नहीं गया तथा कुल मिलाकर संस्थाओं, कानूनों और परंपराओं आदि में सुधार तक ही सीमित रखा गया। उनका मानना था कि सुधारवादी कल्याणवादी की नीतियों के जरिए बदलाव संभव हो सकता है। मौजूदा संस्थाओं में काम करते हुए उदारवादी नारीवादी समान अवसर और समाज सुध र के सिद्धांत पर जोर देते हैं और कानून बनाने तथा रोजगार नीतियों के नियमन के जरिए सामाजिक बदलाव संपन्न करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। समाज सुधार को सुगम बनाने के लिए विवेक विधान और

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

ज्ञान की ताकत पर अपने विश्वास के चलते, असमानता के निराकरण के व्यावहारिक समाधान के तौर पर वे ऐसे कार्यक्रमों पर जोर देते हैं, जो भेदभाव मिटाते हैं और बच्चों तथा बड़ों के पुनर्सामाजिकीकरण को रेखांकित करते हैं ताकि दृष्टिकोणों में बदलाव लाया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो महिला अधिकार आंदोलन में, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महिलाओं तक विस्तार, उनके लिए मतदान प्राप्ति का अधिकार हासिल करना, शादीशुदा महिलाओं की संपत्ति की रक्षा के जरिए विवाहित महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, बच्चों के अधिग्रहण के मामले में महिलाओं की कानूनी स्थिति में सुधार, तलाक कानूनों को सरल बनाना, शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता प्रदान करना तथा उच्च शिक्षा, उजूरती श्रम (Wage labour) और अन्य व्यवसायों तक महिलाओं की पहुंच सुगम बनाना आदि सभी मुद्दें शामिल हैं।

उदारवादी सुधारों का लजिमी तौर पर यह नतीजा रहा है कि इसके जरिए महिलाओं को अधिक अवसर और महिला अधिकारों के बारे में बढ़ती जनचेतना संभव हो सकी है। अपने आप में ये छोटी उपलब्धियां नहीं हैं। हालांकि, इन सुधारों का फायदा सभी महिलाओं को समान रूप से नहीं मिल पाया है क्योंकि इन बदलावों ने सामाजिक तौर पर विनिर्मित असमानताओं से जुड़े मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। व्यक्तिगत आजादी पर आंच आने दिए बिना वह सामूहिक समानता हासिल करना चाहता है। इस तरह वर्ग, नस्ल, देशज और अपंगता जिसे व्यक्तिगत व्यवहार के जरिए मिटाया नहीं जा सकता उन पर पर्याप्त ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है। उदारवादी नारीवादी सिद्धांत घर की निजी दुनिया और व्यक्तियों के सार्वजनिक जीवन में व्याप्त फर्क की प्रचलित धारणाओं पर भी पर्याप्त ढंग से सवाल नहीं उठाता और उन तरीकों का भी विश्लेषण नहीं करता जिसके जरिए निजी और सार्वजनिक दायरे परस्पर व्याप्त दिखते हैं। सार्वजनिक/निजी के द्वंद्व की स्वीकृति जेंडर भूमिकाओं के बारे में दोहरे चिंतन को आगे बढ़ाती है। पुरुषों के मस्तिष्क के साथ और महिलाओं को शरीर के साथ जुड़ा माना जाता है। पुरुषों को आमतौर पर तर्कपूर्ण, सहायक, यांत्रिक, वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष तथा सार्वजनिक दायरे से संबद्ध जबकि महिलाओं को अतार्किक, पवित्र, भावुक तथा निजी दुनिया से संबद्ध समझा जाता है। यह.. धारणा उनके ये समझने में बाधा बनती है कि विवाह/तलाक नियमों में कानूनी तब्दीलियों या महिलाओं की संपत्ति के मामलों में भी घर काम की नियमित जिम्मेदारी उजरती श्रम में उनके शामिल होने के रास्ते में निरंतर बाधा बनती है। नवीजतन बीसवीं सदी में उदारवादी नारीवाद की परिणिति यही हुई कि महिलाओं एवं छात्राओं को उसने आर्थिक तौर पर स्वतंत्रता तो दिलाई मगर पत्नी और मां के तौर पर महिलाओं की पारंपरिक भूमिका को जारी रखा। ये तथा अन्य मुद्दे बाद में आए समाजवादी नारीवादियों और रेडिकल. नारीवादियों ने उठाए। पितृसत्ता के अवधारणात्मक उपकरण के सहारे वे उदारवादी नारीवादी एजेंडा की कमजोरियों और अंतर्विरोधों को चिन्हित कर सकीं जो इसी के चलते सुधारवादी बना रहा क्योंकि, "वे लैंगिक उत्पीड़न, श्रमका लैंगिक विभाजन और आर्थिक वर्गीय ढांचे में आपसी रिश्ते नहीं तलाश सकीं।" [Zillah Einstein] 1979।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Jagger, Alison, M., Feminist Politics and Human Nature, 1983.
2. Einstein, Zillah, Captalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, Monthly Review Press, 1979.
3. Omvedt, Gail, "Patriarchy and Matriarchy," in Contribution to Women Studies-Series 7, Feminist Concepts-Part-1 (Editor: Maitrayee Krishnaraj).
4. Poonacha, Veena, Gender within the Human Rights Discourse, Research Centre for Women's Studies, SNDT Women's University, Bombay, 1995.
5. Shanley, Lyndon and Uma Narayan eds. Reconstructing Political Theory, Cambridge, Polity Press, 1997.
6. Butler, Judith, and Jon Scott eds. Feminists Theorise the Political, London, Routledge, 1992.
7. Mandel, Nancy, ed. Feminist Issues: Race, Class and Sexuality, Prentice Hall, Canada, 1995.
8. Kennedy, Ellen and Susan Mendus eds. Women in Western Political Philosophy, Sussex, Wheatsheaf Books. 1987.
9. Desai, Neera and Maithrayee Krishnaraj, Women and Society in India, Ajanta Publication, 1987.

*****